

न्यायालय भूमि सुधारउपसमाहर्ता, खूँटी

2

अनुमति वाद संख्या :-42 / 2020-21

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

मकेश पाहन

कोपेया संगा

– विक्रेता

— क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी,
तारीख सहित

16.12.20

आदेश

आवेदक मुकेश पाहन पिता स्वर्गीय बोकला पाहन ग्राम-कर्रा रोड, नावाटोली, खूंटी, थाना खूंटी, जिला खूंटी ने कोपेया संगा पिता स्वर्गीय जोठो संगा ग्राम-दुमरदगा, पोर्ट-जलटंडा, थाना-खूंटी, जिला खूंटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)
खूंटी	83	05	152	0.03½

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय / जाति प्रमाणपत्र / खतियान एवं लगान की रसीद 1476362315 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 1015 दिनांक 07.12.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियान है। खतियानी रैयत का नाम अर्जुन पाहन है। पंजी II के अनुसार मंगरा पाहन वौराह के नाम भूमि का 9.67½ एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 1.20½ एकड़ भूमि के आलावे अन्य खाता सं0 6 रकबा 1.40 एकड़ कुल रकबा 2.60½ एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020-21 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित 72473.00(बहतर हजार चार सौ तिहतर)रु0 प्रति डीसमिल है। भूमि का अवशेष 257 एकड़ रह जाती है।

भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवश्य 2.57 एकड़ रह जाता है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूंटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूंटी ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

हेतु अनुशंसा किये हैं।
आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण खूँटी मुकेश पाहन पिता स्व0 बोकला पाहन को कोपेया संगा पिता स्व0 जोटो संगा के साथ ग्राम खूँटी मुकेश पाहन पिता स्व0 बोकला पाहन को कोपेया संगा पिता स्व0 जोटो संगा के साथ ग्राम खूँटी के खाता सं0 05 खेसरा संख्या 152 कुल रकमा $0.03\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 72473. 00(बहतर हजार चार सौ तिहतर)रु0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

जाती है। इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखवागार, खँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खँटी।

 भूमि सुधारक